

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय) ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

प.ऊ.कें.वि. और किनष्ठ महाविद्यालय और केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई के सभी कर्मचारियों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, 2023 के परिपत्र संख्या 4 वर्ष 2023: एफ. सं.: 370142/06/2023 - टीपीएल दिनांकित 05.04.2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई कर प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। यदि कोई कर्मचारी पुरानी कर प्रणाली को चुनना चाहता है तो उन्हें एक विकल्प का चयन करना होगा। यदि विकल्प फार्म जमा नहीं किया जाता है. तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी को डिफ़ॉल्ट नई कर प्रणाली का विकल्प चना है।

All employees of AEC Schools / Junior College and Central Office, AEES, Mumbai are now covered under the New Tax Regime for the Financial Year 2023-24 in terms of the Central Board of Direct Taxes, Circular No 4 of 2023: F.No: 370142/06/2023-TPL dated 05/04/2023. An option has to be exercised by an employee if she/he wishes to opt for Old Tax Regime. If the option form is not submitted, it will be deemed that the employee has opted for the New Tax Regime by default.

कर्मचारी का विवरण / PARTICULARS OF THE EMPLOYEE:

नाम/Name	
पदनाम/Designation	
कार्यालय /Place of Work	
पैन/PAN	
क.प.सं./ EMPID NO.	
कंप्यूटर कोड संख्या /c.c.no.	
दूरभाष/मोबाइल संख्या/	
Telephone / Mobile No	
ई-मेल आईडी / E-mail ID.	
आवासीय पता/	
Residential Address	
आधार संख्या /Aadhar No	

पुरानी कर प्रणाली चुनने का विकल्प / OPTION for opting OLD TAX REGIME

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों को आयकर बचत घोषणा भरना अपेक्षित है। Employees opting for Old Tax Regime are required to fill Income tax savings declaration for the F.Y. 2023-24

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर स्तर / Income tax slabs for Financial Year 2023-24

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति	60 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्ति	आयकर की दर
Individuals below 60 years	Individuals between 60 to 80 years	Rate of Income Tax
Up to ₹ 2,50,000	Up to ₹3,00,000	NIL
₹ 2,50,010 to ₹ 5,00,000	₹ 3,00,010 to ₹ 5,00,000	5%
₹ 5,00,010 to ₹ 10,00,000	₹5,00,010 to ₹10,00,000	20%
₹ 10,00,010 to & above	₹ 10,00,010 to & above	30%

शुद्ध करयोग्य आय को निकटतम दस तक पूर्णांकित किया गया है |

Net taxable income is rounded to nearest ten.

आयकर पर स्वास्थ और शिक्षा उपकर @ 4% देय है।

Health and Education Cess @ 4% is chargeable on income tax.

₹ 5,00,000/- तक की कर योग्य आय के लिए, आयकर के 100% के बराबर राशि या ₹ 12,500/-, जो भी कम हो, की आयकर छूट की अनुमित है। For taxable income up to ₹ 5,00,000/-, income tax rebate of an amount equal to 100% of income tax or ₹ 12,500/- whichever is less is allowed.

मैं, अधोहस्ताक्षरी, पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुनता/चुनती हूं और वित्त वर्ष 2023-24 में इसमें संशोधन की मांग नहीं करूंगा/करुँगी। I, the undersigned, hereby opt for the Old Tax Regime and will not ask for revision of the same in FY 2023-24.

हस्ताक्षर/Signature	
नाम/Name	
पदनाम/Designation	
दिनांक / Date	



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

(भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

यह प्रपत्र उन कर्मचारियों को भरना आवश्यक है जिन्होंने पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुना है। THIS FORM IS REQUIRED TO BE FILLED BY THE EMPLOYEES WHO HAVE **OPTED FOR OLD TAX REGIME**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत वांछनीय कटौतियों / छुट के दावों के संबंध में परमाण्

ऊर्जा शिक्षण संस्था कर्मचारियों द्वारा घोषणा।

DECLARATION BY AEES EMPLOYEES REGARDING CLAIM OF ELIGIBLE DEDUCTIONS/EXEMPTION UNDER PROVISIONS OF THE INCOME TAX ACT 1961 DURING THE FINANCIAL YEAR 2023-24.

निर्देश/INSTRUCTIONS:

1) सभी कर्मचारियों द्वारा घोषणा दिनांक 10/09/2023 तक संबंधित प्रधानाचार्य, प.ऊ.कें.वि. / क.म.वि. और सहायक लेखा अधिकारी (वेतन) को जमा की जाए।

Declaration is to be submitted to Principal, AECS/JC & AAO (Salary) by all employees on or before 10/09/2023.

2) प्रत्येक कटौती/छूट दावे के समर्थन में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो कृपया समर्थक दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपियाँ संलग्न करें।

Please enclose photocopies of supporting documents wherever required in support of each claim of deduction/exemption.

- 3) कृपया किसी दावे जहाँ भुगतान यथासमय किया जाना प्रस्तावित है, के मामले में दिनांक 31/12/2023 तक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने का वचन दें। घोषणा जमा न किए जाने या अमान्य दावे के कारण कर देयता में किसी वृद्धि के लिए संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होगा।
 - In case of any claim where payments are proposed to be made in due course, please give undertaking for submission of documentary evidence on or before 31/12/2023. Any increase in tax liability due to non-submission of declaration or invalid claim, responsibility lies with the employee concerned.
- 4) कृपया संलग्न शीट के अंत में सत्यापन, वचन और प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करें।

Please sign verification, undertaking and certificate at the end of the enclosed sheet.

5) एक बार घोषणा प्रपत्र जमा कर दिए जाने के बाद आगे अतिरिक्त प्रमाण जमा करते समय इसे दुबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में की गई अतिरिक्त बचत, यदि कोई हो, तो इसके दस्तावेज की फोटो प्रति पर कर्मचारी संख्या और कम्प्यूटर कोड संख्या लिख कर जमा की जा सकती हैं।

DECLARATION FORM ONCE SUBMITTED, NEED NOT BE SUBMITTED AGAIN WITH SUBSEQUENT ADDITIONAL PROOFS. Additional savings made at later stage, if any, can be submitted by mentioning Employee No. and C.C. No. on the photocopy of the document.

धारा 10(13-ए) के अंतर्गत मांगी गई मकान किराए भत्ता छूट के संबंध में ब्योरा:

(इस संबंध में करार और किराये की रसीदों और मकान मालिक के पैन कार्ड के साथ अलग से दावा प्रस्तुत करें।)

PARTICULARS IN CASE HRA EXEMPTION SOUGHT UNDER SECTION 10 (13-A):

(A separate claim is to be submitted in this regard with copies of agreement, rent receipts and copy of PAN card of owner)

	भुगतान किया किराया	प्रभावी होने की तारीख	मालिक का नाम और पता	मकान मालिक की पैन संख्या
	Rent paid	With effect from	Name and address of the owner	PAN No. of the owner
ŧ	₹ प्रति माह			
ŧ	per month			

अध्याय VI-ए की अन्य धाराओं के तहत मांगी गई कटौती के संबंध में ब्योरा: PARTICULARS IN CASE DEDUCTION SOUGHT UNDER OTHER SECTIONS OF CHAPTER VI-A:

1. वर्ष के दौरान किए गए निवेशों/बचतों के लिए अध्याय VI-ए की धारा 80-सी के तहत मांगी गई कटौती के संबंध में विवरणधारा 80 सीसीई के तहत कुल कटौती की सीमा ₹ 1,50,000/- है। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए। पीएफ/एलआईसी/समूह बीमा आदि के लिए वेतन के माध्यम से किए गए भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

PARTICULARS IN CASE OF DEDUCTION SOUGHT UNDER SECTION 80-C OF CHAPTER VI-A TOWARDS INVESTMENTS / SAVINGS MADE DURING THE YEAR. Aggregate deductions under section 80 CCE are allowed to the extent of ₹ 1,50,000/-. Documentary Proofs should be enclosed. Details for payment made through salary for PF/LIC/GROUP INSURANCE etc. need not be furnished.

	furnished.						
क्र. सं. Sr. No	बचत का प्रकार Nature of Savings	पॉलिसी संख्या रसीद /पावती संख्या Policy No. Receipt/Ack. No	नाम/	बैंक/ कंपनी का Name of the Bank/Company	भुगतान की तिथि Date of payment	भुगतान राशि(₹) Amount paid(₹)	अभ्युक्तियाँ Remarks
1	जीवन बीमा किस्त का भुगतान। (वार्षिक/छमाही/तिमाही/मासिक) Life Insurance Premium paid. (yearly/half yearly/quarterly/monthly)						
2	यूलिप/पीएलआई ULIP / PLI						
3	सार्वजिनक भविष्य निधि/ Public Provident Fund (PPF)						
4	प्रदत्त शिक्षण-शुल्क (दो बच्चों तक सीमित) Tuition Fees paid (Limited to two children)						
5	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) National Savings Certificate (NSC)						
6	म्यूचुअल फंड्स Mutual Funds						
7	सावधि जमा (अनुसूचित बैंक/डाकघर/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए) Fixed Deposit (for a minimum period of 5 years in a Scheduled Bank/Post Office/Public Sector Bank)						
8	मकान की खरीद पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/ Stamp Duty/Registration Fees paid on purchase of House.						
9	अधिसूचित पेंशन योजना निवेश (80 सीसीसी) Notified Pension Scheme Investments (80 CCC)						
10	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत व Housing Loan deduction u/s 80C of the Incom (The PARTICULARS of House Property should	e Tax Act, 1961.			। संलग्न प्रारूप में भी ध	भरें।) PARTICUL	ARS of
क A	वित्तीय संस्थान का नाम: सरकारी बैंक आदि Name of the Financial institution, Government Bank etc.		ख b	ऋण लेने की तारी Date when Loar			
ग C	जिस संपत्ति के लिए ऋण लिया गया, उसका पता। Address of the property for which loan availed.		घ d	लिए गए ऋण की Amount of Loar		₹	
ङ E	मकान के पूर्ण होने/कब्जे की तिथि। Date of Completion/ Possession of House.		च f	खरीद/निर्माण/नवीव Purpose of Loar Purchase/Resald	ı: First		
छ G	वर्ष 2023-24 के दौरान चुकाए गए ऋण (मूल) की र Amount of Loan (Principal) repaid during the		₹	· 			
Note नोट	1) दस्तावेजी प्रमाण अर्थात पूर्णता / दखल / कब्जा की भी एक प्रति प्रस्तुत करें। Documentary prod enclosed. A copy of the registered agreement 2) यदि परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त नाम में मन If the house purchased/constructed is in joint	प्रमाणपत्र (यदि पहली बार of i.e., completion/occu /sale deed may also be कान खरीदा गया है/ निर्मा	pation/p submitt ण किया है	oossession certifi ed. हे, तो आवश्यक घोष	cate (if claiming for ग्णापत्र प्रस्तुत किया ज	r the First time गए।	

2. चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान (धारा 80 डी के तहत): दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए। (अधिकतम ₹ 25,000/- और वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए ₹ 50,000/-)

MEDICAL INSURANCE PREMIA PAID (u/s 80 D): Documentary evidence should be enclosed. (Maximum ₹ 25,000 and for Sr. Citizens & Sr. Citizen parents ₹ 50,000)

बीमा योजना का नाम Name of the Insurance Scheme	नाम, आयु और कर्मचारी के साथ व्यक्ति का संबंध Name, Age and relation of the person with the employee	पॉलिसी संख्या Policy Number	भुगतान की तिथि Date of Payment	भुगतान की राशि (₹) Amount paid (₹)

3. विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास पर व्यय (धारा 80 डीडी के तहत): आयकर नियमों में यथा परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाए। (अधिकतम रुपये ₹ 75,000/- और गंभीर विकलांगता के लिए रुपये ₹ 1,25,000/-)

EXPENDITURE INCURRED ON MEDICAL TREATMENT, TRAINING AND REHABILITATION OF A DEPENDENT BEING A PERSON WITH DISABILITY (U/S 80 DD): A copy of the certificate issued by the medical authority as defined in Income Tax Act in the prescribed format should be enclosed. (Maximum ₹ 75,000/- and for severe disability ₹ 1,25,000/-)

अं.स्वा.से.यो. अभिलेखों के अनुसार	अं.स्वा.सं.यो. संख्या एवं	विकलांगता का	वहन व्यय राशि (₹)	प्रमाणपत्र जारी करने वाले
आश्रितों के नाम	संबंध/रिश्ता	प्रकार	Amount of	प्राधिकारी का नाम एवं पता।
Name of the dependent as per	CHSS Number &	Nature of	expenditure incurred	Name & address of the
CHSS Records.	Relationship	disability	(₹)	certificate issuing authority.

4. स्वयं और/या आश्रित (पित/पितनी एवं संतान) की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज (धारा 80-ई के तहत): यह कटौती कर निर्धारिती द्वारा ऋण पर ब्याज का भुगतान शुरू करने के वर्ष से केवल 8 लगातार निर्धारण वर्षों के लिए स्वीकार्य है। वित्तीय संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त/ देय ब्याज का प्रमाणपत्र ऋण संस्वीकृत पत्र और किए जा रहे पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि के साथ संलग्न किया जाए।

INTEREST ON LOAN TAKEN FOR HIGHER EDUCATION OF SELF AND OR DEPENDENT (SPOUSE & CHILDREN) (u/s 80-E): This deduction is allowable only for 8 successive Assessment years from the year in which the assessee starts paying interest on loan. A certificate of interest paid / payable issued by the financial institution along with loan sanction and photocopy of course attending should be enclosed.

	शिक्षण संस्थान का नाम /प्रवेश	पाठ्यक्रम का नाम /	ऋण संस्वीकृति	चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान
वित्तीय संस्थान का नाम Name of	की तारीख Name of the	पाठ्यक्रम की अवधि /	की तारीख /	की राशि (₹)/
the Financial Institution	Educational Institution/	Name of the course	Date of	Amount of interest paid during
	Date of Admission	/Duration of course	sanction of loan	the current year (₹)

5. विकलांग व्यक्ति के संबंध में कटौती (धारा 80 यू के तहत): आयकर नियमों में यथा परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाए। (अधिकतम रुपये ₹75,000/- और गंभीर विकलांगता के लिए रुपये ₹ 1,25,000/-)

DEDUCTION IN THE CASE OF A PERSON WITH DISABILITY (u/s 80 U): A copy of the certificate issued by the medical authority as defined in Income Tax Act in the prescribed format should be enclosed. (Maximum ₹ 75,000/- and for severe disability ₹ 1,25,000)

विकलांगता का प्रकार Nature of Disability	विकलांगता का प्रतिशतता Extent (%) of disability	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण / चिकित्सा प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पता Name, Designation and address of the certificate issuing authority/Medical Authority

6. धारा 80 सीसीडी(1बी) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ₹ 50,000/- रुपये तक का स्वैच्छिक / स्व-योगदान । Voluntary/Self Contribution under National Pension System up to ₹ 50,000/- under section 80CCD(1B)

बचत का प्रकार Nature of Savings	रसीद/ पावती संख्या Receipt/Ack.No	बैंक का नाम /Name of the Bank	भुगतान की तिथि / Date of payment	भुगतान राशि (रु.) Amount paid (रु.)	टिप्पणियां/ Remarks
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (80 सीसीडी (1-बी)) National Pension System (80CCD (1-B))					

सत्यापन प्रमाणपत्र और वचनपत्र VERIFICATION CERTIFICATE & UNDERTAKING

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त ब्यौरा मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

I certify that the above PARTICULARS furnished by me are true and correct to the best of my knowledge and belief.

मेरे द्वारा पेश किए गए उपरोक्त दावों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों/ प्रमाणपत्रों की छायाप्रति दिनांक 31.12.2023 तक प्रस्तुत करने का मैं वचन देता/देती हूँ। मूल दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाणपत्र के अभाव में किसी दावे की अस्वीकृति की जिम्मेदारी मेरी होगी।

I undertake to produce photocopies of documentary evidences/certificates in respect of the above claims preferred by me on or before 31/12/2023. Onus of rejection of any claim for want of original documentary evidences/certificates lies with me.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि पॉलिसियों को प्रभावी रखने के लिए मैं बीमा किस्तों का भुगतान नियमित रूप से करता/करती रहूँगा/रहूँगी।

I certify that I shall continue to pay Insurance Premium regularly in order to keep the policies in force.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मकान संपत्ति जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है, उसका दिनांक 31/03/2024 तक हस्तांतरण/निपटारण नहीं किया जाएगा।

I certify that the house property for which rebate is being claimed will not be transferred / disposed off till 31/03/2024.

नाम/Name	
पदनाम/Designation	
क.प.सं./ EMPID NO.	
कंप्यूटर कोड संख्या /C.C.NO.	
हस्ताक्षर /Signature	
दिनांक /Date	

प्रपत्र : 12-सी Form: 12-C

मकान संपत्ति से आय शीर्ष के तहत छूट के दावे हेतु घोषणा

Declaration for claiming rebate under the head INCOME FROM HOUSE PROPERTY

नाम		
Name		
पदनाम		
Designation		
क.प.सं. EMPID NO.		
मकान संपत्ति का पता		
Address of House Property		
आवासीय स्थिति	1. स्वयं के प्रयोग में/Self-Occupied	
(जो लागू न हो उसे काट दें)	2. किराए पर दिया हुआ/ Let Out	
Residential Status (strike out which are not applicable)	3. किराए पर दिया गया माना/Deemed Let Out	

मकान संपत्ति से आय का ब्यौरा (हानि यदि कोई हो, सहित)

PARTICULARS of Income (including Loss, if any) from House Property (सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे जाने चाहिए)

(all the columns should be mandatorily filled)

	धारा 23 के तहत संपत्ति का कुल वार्षिक मूल्य Gross Annual Value of the property u/s 23				
(ক/A)	Amount for v नगरपालिका स् Annual Muni प्राप्त वास्तविव	which the property r पुल्यांकन या वार्षिक वि cipal Valuation or Al	nnual lettable value अथवा / OR क हो	₹	
(ख/B)	राशि (स्व-अभि Less: Municip	नेप्रमाणित छायाप्रति सं	id by the owner in the year 2023-24	₹	
(ग/C)	संपत्ति का निव	ल वार्षिक मूल्य/Net A	nnual Value of the property	₹	
(घ/D)	स्वीकार्य कटौतियाँ Deductions Admissible	(क/a)	मरम्मत और समाहरण प्रभार के लिए निवल वार्षिक मूल्य का 30% (सी) 30% of Net Annual Value (C) For Repairs and Collection charges.	₹	
		(ख/b)	उक्त मकान संपत्ति को अर्जित करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रदत्त/देय ब्याज। (समर्थक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।) Interest paid/payable on the borrowed capital for acquiring said house property (self-attested copies of supporting documents should be attached)	₹	
		(ক/a) + (ख/b)		₹	
(ङ/E)	निवल प्रभार्य आय: मकान संपत्ति से आय शीर्ष के तहत (ग - घ) Net Chargeable Income: (C-D) under the head Income from house property ₹			₹	

कर्मचारी का हस्ताक्षर :	
Signature of the employee:	
दिनांक / Date:	

सत्यापन प्रमाणपत्र और वचनपत्र VERIFICATION CERTIFICATE & UNDERTAKING

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मकान संपत्ति जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है,उसका दिनांक 31/03/2024 तक हस्तांतरण/निपटारण नहीं किया जाएगा।

I CERTIFY THAT THE HOUSE PROPERTY FOR WHICH REBATE IS BEING CLAIMED WILL NOT BE TRANSFERRED / DISPOSED OFF TILL 31/03/2024.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त ब्यौरा मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

I CERTIFY THAT THE ABOVE PARTICULARS FURNISHED BY ME ARE TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF.

नाम/Name	
नाम/Name	
पदनाम/Designation	
क.प.सं./ EMPID NO.	
कंप्यूटर कोड संख्या /C.C.NO.	
हस्ताक्षर /Signature	
दिनांक /Date	

टिप्पणियाँ/Notes:

1. उपरोक्त खंड घ(ख) में पूर्व (लेखा) वर्ष जिसमें संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है, से पूर्व अविध के लिए उधार ली गई पूंजी (यदि कोई) पर पूर्व- निर्माण/ पूर्व- ईएमआई ब्याज शामिल है। ये ब्याज धारा 24 के तहत उस वित्तीय वर्ष जिसमें मकान अर्जित या निर्मित किया गया है से शुरू होकर पाँच बराबर किश्तों में काटी जाएगी।

Term D (b) above includes Pre – construction / Pre-EMI Interest on borrowed capital (if any) for the period prior to the previous (accounting) year in which the property has been acquired or constructed. Such interest shall be deducted u/s 24 in five equal installments commencing from the financial year in which the house is acquired or constructed.

2. यदि मकान संपत्ति में कई तल हैं तो इसे कई निवास यूनिटों के रूप में माना जाएगा।

If a house property consists of many floors, it will be treated as having as many dwelling units.

 उधार ली गई पूंजी पर ब्याज उधार देने वाले संस्थान से प्राप्त विधिवत् हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों से समर्थित होनी चाहिए, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए।

Interest on borrowed capital should be supported with duly signed certificates obtained from the lending institution, Provisional certificate should be duly signed by issuing authority.

4. जहाँ संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में है और उनके संबंधित शेयर स्पष्ट और सुनिश्चित हैं तो मकान संपत्ति से आय में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का शेयर उनकी संबंधित आय में शामिल किया जाए।

Where property is owned by two or more persons and their respective shares are definite and ascertainable then the share of each such person in the income from house property should be included in their respective income.

5. जैसा कि मकान संपत्ति से आय का निर्धारण संबंधित कर्मचारी/कर निर्धारिती से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है, अत: इसकी शुद्धता/ सत्यता के लिए कर्मचारी/कर निर्धारिती पूर्णतया जिम्मेदार है।

The employee / assessee is wholly responsible for its correctness, as far as income from House Property determined on the basis of information furnished by him/her is concerned.